न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अरूण कुमार पुरोहित, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 42/2018

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
रामजीवन पुत्र सुखराम जाति बिश्नोई निवासी बूल कोजा जरिये व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति कोजा		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.07.2018 जो सरकार बनाम व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति कोजा के प्रकरण सं. 14/2018 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 26.07.2023

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 14/2018 सरकार बनाम व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति कोता मे पारित निर्णय दिनांक 02.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। इस पर दोनो पक्षों की सुनवाई उपरांत इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.08.2019 के द्वारा खारिज की गई। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील सं0 91/9019 अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त द्वारा उक्त द्वितीय अपील पर निर्णय दिनांक 09.11.2022 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.08.2019 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया हैं कि रिवीजनकर्ता को सुनवाई का समुचित

जिला कलक्टर बाड़मेर

अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस पर यह अपील पुनः नम्बर पर कायम होकर पक्षकारान को सुनवाई हेतु तलब किया गया।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रवर्तन निरीक्षक सिणधरी श्री सहीराम द्वारा अपीलार्थी ग्राम सेवा सहकारी समिति कोजा द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के संबंध मे गंभीर अनियमितताऐं पाई गई । जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक सिणधरी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस पर उत्तरदाता जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 22.01.2018 के द्वारा निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस ज़ारी किया गया। अपीलार्थी को उपस्थित होकर कारण प्रकट करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अधिनस्थ अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2018 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.09.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा करने एवं अपील अन्दर मयाद सम्मिलित करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट के नोटिस का समुचित जवाब लिखित रूप से दिया गया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध संस्थित जांच मे निरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बयानों पर अपीलार्थी को प्रतिरक्षण करने का कोई अवसर प्रदान भी नहीं किया गया हैं तथा एक ही अपराध के लिये दोहरा दण्ड देते हुए अनुज्ञा पत्र निलम्बन किया और फिर निरस्त भी कर दिया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं आर्बिट्रेरी होने के साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य हैं। अपीलाकर्ता द्वारा उचित मूल्य दुकान की जो सामग्री प्राप्त

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की थी उसका वितरण नियमानुसार किया जाता रहा तथा सामग्री वितरण पोश मशीन एवं राशन कार्ड़ दोनो से ही किये जाने के आदेश थे। इस बाबत किसी भी राशनकार्ड धारक द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता की शिकायत नहीं की गई हैं। अतः अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें।

4. उत्तरदाता की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करने पर अनियमितताऐं पाई गई तथा विभागीय निर्देशों एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने से उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित कर, कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा बताया कि दिसम्बर 2017 को गेंहू नहीं मिला तथा पोश मशीन एवं राशन कार्ड में दर्ज मात्रा का मिलान करने पर 375 किलोग्राम गेंहू एवं 5 लीटर केरोसीन कम पाया गया। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब आधारहीन एवं संतुष्टीपरक नहीं पाये जाने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण मे पाई गई गम्भीर अनियमितताऐं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की भार्त सं. 8,11,14 एव 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमे किसी प्रकार कोई विधि या तथ्य की भूल नही की गई है तथा इस आदेश के विरूद्ध यह प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार के अभिकथनों मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्रवर्तन निरीक्षण सिणधरी द्वारा निरीक्षण करने पर पाई गई अनियमितताओं के आधार पर प्राधिकार पत्र निलम्बित कर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा उल्लेखित अनियमितताओं एवं कम पाये गये स्टॉक का कोई ठोस एवं संतुष्टिपरक जवाब नहीं दिया गया तथा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करने की निर्धारित मयाद अवधि समाप्त होने के बाद दिनांक 11.09.2018 को यह कालातीत अपील प्रस्तुत की गई है। जहां तक प्रकरण मे अपीलार्थी पर अध्यारोपित आरोप का प्रश्न है तो विभागीय निर्देशानुसार

कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

अपीलार्थी को उचित मूल्य दुकान को सुचारू रूप से संचालित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी के विरूद्ध स्टॉक कम पाये जाने की अनियमितताओं का जो आरोप लगाया गया है उसका संतुष्टिपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के आदेश के अनुसरण प्रतिप्रेषित इस अपील मे कोई तथ्य प्रकट किया गया है। ऐसे मे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के साथ ही मेरीट पर मामला प्रबल नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील मयाद बाहर होने के साथ ही मेरीट पर भी प्रबल नही होकर सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 14/2018 मे पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर